Dir(NIC)

सं. ए–11015/40/2020–एसईसी
भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

..........

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली

दिनांक : 21-09-2013

## आदेश

**विषय :– सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ''राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान'' (एनआईएसई) नामक स्वायत्त संस्थान की स्थापना करना ।**

अधोहस्ताक्षरी को वर्तमान ''सौर ऊर्जा केन्द्र'' ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव को परिवर्तित कर ''राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान'' जिसका मुख्यालय और शोध सुविधाएं ग्वालपहाड़ी, जिला गुड़गांव (हरियाणा) में स्थित होंगी तथा जिसका विस्तार बाद में देश के अन्य भागों में भी किया जा सकता है, के नाम से एक स्वायत्त संस्थान की स्थापना करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है । सरकार के अन्य निर्णय निम्नलिखित हैं :–

(i) नव सृजित स्वायत्त संस्थान, अर्थात् ''राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान'' (नाइस) को पंजीकृत किए जाने वाले राज्य में लागू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा ।

(ii) एमएनआरई के साथ एक समझौते के माध्यम से पंजीकरण होने की तारीख के बाद सैक की वर्तमान जमीन, अवसंरचना और अन्य सुविधाएं नाइस के नाम हस्तांतरित हो जाएंगी ।

(iii) इस संस्थान को ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए सभी आवश्यक स्वतंत्रता और नमनीयता उपलब्ध होगी ।

(iv) नव सृजित/रूपांतरित संगठन के प्रमुख के तौर पर महा-निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष) का एक पद पे बैंड-4 (37,400-67,000/-रू. + ग्रेड वेतन 10,000/-रू.) में सृजित किया गया है ।

(v) पीबी--4 + ग्रेड वेतन 10,000 रू. में महानिदेशक के एक पद के सृजन से चार पद (कनिष्ठ विश्लेषक- पीबी-2 + ग्रेड वेतन-4600/-रू., फोरमेन- पीबी-2 + ग्रेड वेतन 4200/-रू., आशुलिपिक-ग्रेड 'सी'- पीबी-2 ग्रेड वेतन-4200/-रू. तथा आशुलिपिक ग्रेड डी-पीबी-1 + ग्रेड वेतन 2400/-रू. के एक-एक पद) समाप्त हो जाएंगे ।

(vi) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान मंत्रालय की सहायता करेगा और देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास और संबंधित कार्यकलापों के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करेगा । यह संस्थान इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिशन के अंतर्गत विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अन्य कार्यकलापों का समन्वयन करेगा ।

(vii) एक विस्तृत दिशा-निर्देश के तौर पर, मिशन के अंतर्गत विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यकलापों के लिए नीति निर्माण और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने का काम मंत्रालय द्वारा किया जाना जारी रहेगा । तथापि, मिशन के अंतर्गत विचारित विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन और समन्वयन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना इस स्वायत्त संस्थान का दायित्व होगा । इस स्वायत्त संस्थान के उद्देश्यों एवं प्रमुख कार्यों की एक प्रतीकात्मक सूची **अनुलग्नक-I** पर दी गई है ।

(viii) यह संस्थान एमएनआरई के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा। इसके कार्यकलापों का प्रबंधन सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली शासी परिषद् तथा महानिदेशक की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा । संरचना और प्रबंधन के ब्यौरे को दर्शाती एक संगठनात्मक तालिका **अनुलग्नक–।।** पर दी गई है ।

(ix) फिलहाल एमएनआरई की सहायता और अनुदान 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु सैक के लिए किए गए बजटीय आवंटन तक सीमित होंगे ।

(x) नाइस द्वारा अपने कार्यकलाप वैज्ञानिकों और प्रशासनिक स्टाफ के वर्तमान पदों की सहायता से आरंभ किए जाएंगे जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक–।।।** पर दिया गया है जो अपना वेतन अभी की तरह ही सैक से आहरित करते रहेंगे ।

बाद में, नाइस की शासी परिषद् द्वारा वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक मानव शक्ति की आवश्यकता पर निर्णय लिया जाएगा । आरंभ में, शासी परिषद् द्वारा मौजूदा कार्यकारी अधिकारियों की संख्या को पुनः नामित किया जाएगा । आरंभ में, शासी परिषद् द्वारा मौजूदा कार्यकारी अधिकारियों की संख्या को पुनः नामित किया जाएगा और उन्हें नाइस में आमेलित अथवा प्रतिनियुक्ति पर शामिल नहीं किए जाने तक उन्हें एमएनआरई के कार्मिक होते हुए नाइस में धारित पदों पर कार्यभार ग्रहण किया हुआ माना जाएगा । तथापि, आरंभ में नए पद और वर्तमान पद साथ–साथ अस्तित्व में रहेंगे ।

(xi) सौर ऊर्जा केन्द्र (सैक) के वर्तमान वैज्ञानिकों एवं सहायक कार्मिकों को स्वायत्त संस्थान में शामिल होने अथवा सरकार (एमएनआरई) में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा । यदि सैक के वर्तमान वैज्ञानिक और सहायक कार्मिक स्वायत्त संस्थान में शामिल होने के विकल्प का चयन करते हैं तो उन्हें एक चयन प्रकिया के माध्यम से आने की आवश्यकता होगी । तथापि, उम्र संबंधी आवश्यक छूट दी जाएगी । परंतु वैसे वर्तमान वैज्ञानिक और सहायक कार्मिक जो सरकार (एमएनआरई) की सेवा में रहना चाहते हैं, को एनआईएसई में सरकार के मौजूदा नियमों और नीतियों/एनआईएसई के उप नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा । कुछ समय के लिए उन्हें अपना सरकारी आवास रखने की अनुमति दी जाएगी ।

(xii) नाइस की स्थापना इसे एक विश्व स्तर के संस्थान के रूप में विकसित करने की संकल्पना के साथ की जा रही है। तत्पश्चात् एक रूप–रेखा (ब्लू प्रिंट) तैयार करने के लिए उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय, वित्तीय संस्थाओं आदि के प्रतिनिधित्व के साथ समीक्षा–सह–कार्यनीति–निर्मात्री समिति के रूप में एक विस्तृत राष्ट्रीय टीम का गठन किया जाएगा । यह समिति देश में तथा विदेशों में उपलब्ध विभिन्न मॉडलों पर विचार करेगी और नाइस, गुड़गांव के लिए भावी योजना (रोडमैप) तैयार करेगी ।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आदित्य

(ए.एन. श्रीवास्तव)
निदेशक
टेलीफैक्स: 011–24363498

सेवा में,

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार)

2. सुश्री संजुक्ता रे, निदेशक (मंत्रिमंडल), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 10.09.2013 के पत्र सं.33/सीएम/2013 के संदर्भ में
3. सभी राज्य नोडल एजेंसियां/विद्युत/ऊर्जा विभाग
4. सीआईआई, नई दिल्ली/एसोचेम, नई दिल्ली, फिक्की, नई दिल्ली
5. सीएमडी, इरेडा
6. सीएमडी, एनवीवीएन, स्कोप कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव, एमएनआरई के प्रधान स्टाफ अधिकारी
3. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के निजी सचिव
4. सभी ग्रुप प्रमुख/ संयुक्त सचिव (टीके)/संयुक्त सचिव (एएस)
5. सलाहकार एवं प्रमुख, सौर ऊर्जा केन्द्र, ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव
6. मंत्रालय के सभी अधिकारी
7. निदेशक (एनआईसी) को इस आदेश को एमएनआरई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. संबंधित कार्यालय की फाइल (अनुभाग अधिकारी एनएसएम)

(ए.एन. श्रीवास्तव)
निदेशक

अनुलग्नक–I

## राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के उद्देश्य और प्रमुख कार्यों का ब्यौरा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय की सहायता करना और देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास और संबंधित कार्यकलापों के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करना है । यह संस्थान इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के नीतिगत ढ़ांचे में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी संबंधित कार्यों का भी निष्पादन, मिशन के अंतर्गत, विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों का समन्वयन तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए अन्य कार्यकलापों का निष्पादन करेगा ।

विस्तृत दिशा–निर्देश के तौर पर मिशन के अंतर्गत विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यकलापों के लिए नीति निर्माण और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने का कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाना जारी रहेगा । तथापि, मिशन के अंतर्गत विचारित विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन और समन्वयन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना प्रस्तावित स्वायत्त संस्थान का दायित्व होगा । एमएनआरई द्वारा स्वायत्त संस्थान के लिए आवश्यक आरंभिक तथा जारी बजटीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

नाइरा के कार्यकलापों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है :

1. इस स्वायत्त संस्थान के प्रमुख कार्यों में मंत्रालय को मिशन के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में उपयुक्त कार्यतंत्रों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के विकास, विशिष्ट परियोजनाओं के प्रबंधन, उपर्युक्त उद्देश्यों

की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित हित धारक एजेंसियों के साथ पर्यवेक्षण और समन्वयन के माध्यम से सहायता करना शामिल हैं ।

2. यह संस्थान मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा और संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बल प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा । यह संस्थान प्रदर्शन तथा प्रौद्योगिकी वैधीकरण परियोजनाओं से संबंधित कार्यों को सुगम बनाएगा । संस्थान द्वारा सौर अनुप्रयोगों के वाणिज्यिकरण के लिए क्षेत्र--विशिष्ट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाएगा । इन लक्ष्य क्षेत्रों में रोशनी और अन्य अनुप्रयोगों के लिए भवन, ग्रामीण क्षेत्र और उद्योग शामिल हो सकते हैं । सौर अनुप्रयोग एवं अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों का उद्देश्य ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किरोसिन एवं डीजल का प्रति--स्थापन करना भी होना चाहिए ।

3. यह संस्थान मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अनुसंधान और विकास, संसाधन मूल्यांकन, प्रशिक्षण, परीक्षण/मानकीकरण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। संस्थान द्वारा उद्योग तथा अन्य संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु एक डेटा बैंक का अनुरक्षण किया जाएगा ।

4. संस्थान द्वारा सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, हाइब्रिड प्रणालियों एवं भंडारण तकनीकों/ प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास परियोजनाएं भी चलाई जाएंगी ।

5. संस्थान द्वारा आंतरिक प्रशासनिक कार्य तथा अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं परीक्षण, प्रौद्योगिकी वैधीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाएं चलाई जाएंगी ।

6. यह संस्थान अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परामर्शी परिषद् के कार्यों के लिए सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा । सौर अनुसंधान परामर्शी परिषद् द्वारा एक प्रौद्योगिकी योजना के विकास को सुगम बनाया जाएगा और मिशन

संचालन समूह को अनुसंधान और विकास और क्षमता निर्माण से संबंधित सभी मामलों पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी । यह संस्थान मंत्रालय द्वारा मिशन के कार्यान्वयन हेतु स्थापित किए गए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ निकट सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करेगा ।

7. मंत्रालय तथा मिशन संचालन समूह के मार्गदर्शन में यह संस्थान निम्नलिखित के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा (i) मिशन के अंतर्गत पहचान किए गए अन्य उत्कृष्टता केन्द्र, (ii) देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वित्त पोषित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, (iii) देश के अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी मंत्रालय/संगठन ।

8. संस्थान वर्तमान आरएंडडी संस्थानों एवं उद्योग के बीच की दूरी को समाप्त करने और सहभागी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के माध्यम से उद्योग को प्रेरित करने का प्रयास करेगा ।

9. संस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास एवं संबंधित क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने तथा मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों के साथ साझेदारी करेगा ।

10. संस्थान सौर ऊर्जा तथा भंडारण तकनीकों सहित अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान एवं पूर्वदृष्टि पर आधारित नवीनतम वैश्विक घटनाओं पर नजर रखेगा और देश में घरेलू सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और उद्योग के त्वरित विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय तथा मिशन संचालन समूह को ब्यौरे (इनपुट) उपलब्ध कराएगा ।

11. संस्थान अन्य अनुसंधान और विकास और परीक्षण संगठनों को जिस प्रकार आवश्यक समझा जाए तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगा ।

12. संस्थान मिशन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय को प्रौद्योगिकी संबंधी भावी योजना (रोड मैप) तथा संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियां तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करेगा ।

13. संस्थान मिशन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रोड मैप के अंतर्गत शामिल की गई परियोजनाओं की तकनीकी मॉनीटरिंग संबंधी कार्य का भी समन्वयन करेगा और तकनीकी अध्ययन एवं मूल्यांकन भी करेगा ।

14. संस्थान सौंपे गए विभिन्न कार्यों तथा अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का संचालन करने के लिए एमएनआरई, अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण सहित दूसरे मंत्रालयों/संगठनों से शोध अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा ।

15. संस्थान क्षमता निर्माण को भी बढ़ावा देगा और छात्रों, शिक्षकों एवं शोध कार्मिकों को पीएचडी सहित उच्चतर उपाधियां प्राप्त करने हेतु कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करेगा । संस्थान इस प्रयोजन के लिए विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों के साथ समुचित संपर्क स्थापित करेगा ।

16. परीक्षण, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अंतरण, परामर्शी सेवाओं आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए संस्थान द्वारा एकत्र की गई कार्रवाइयां इस संस्थान द्वारा अपने विकास और प्रगति हेतु रखी जाएंगी ।

17. सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य ।

अनुलग्नक–।।

# एनआईएसई का संगठनात्मक चार्ट

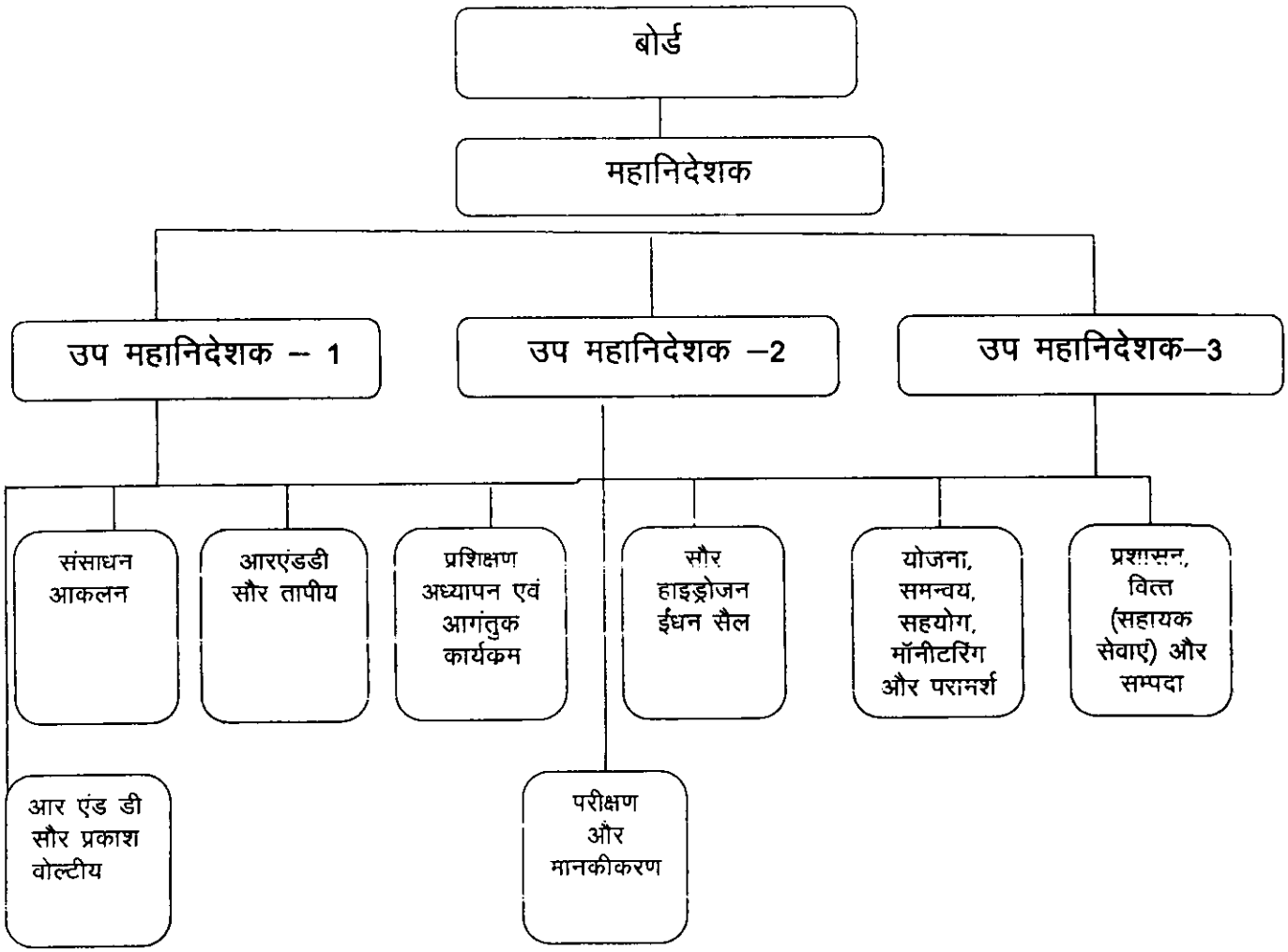

आरम्भ में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में आठ प्रभाग/समूह होंगे जैसा कि उक्त चार्ट में उल्लेख किया गया है । संस्थान में विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के लिए महानिदेशक के रूप एक पूर्णकालिक प्रमुख उत्तरदायी होगा, जो कि संबंधित क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी विद्/विशेषकर होगा । मिशन के अंतर्गत शीर्ष केन्द्र के कार्यों की नवीन प्रकृति को देखते हुए यह आवश्यक है कि केन्द्र में कार्य करने के लिए श्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्ति को आकर्षित किया जाए । अत: एन आई एस ई द्वारा 10,000 रूपये के ग्रेड वेतन सहित पी बी - 4 (37400 रूपये से 67000 रूपये तक ) में एक महानिदेशक (संयुक्त सचिव के स्तर पर) नियुक्ति की जाएगी।

वैज्ञानिक प्रभागों की अध्यक्षता पी बी–4 में 37400 रूपये 67000 रूपये के वेतनमान में 8700 रूपये के ग्रेड वेतन पर उप महानिदेशक के स्तर पर वैज्ञानिक/तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। उच्चतर वेतन और वित्तीय प्रोत्साहन भी कुछ मामलों में सरकार द्वारा दिए जायेंगे ताकि श्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्ति को आकर्षित किया जा सके। प्रशासन और वित्त अनुभाग अध्यक्षता पी बी–4 में 37400 रूपये से 67000 रूपये के वेतनमान में 8700 रू के ग्रेड वेतन के साथ प्रशासनिक अथवा वित्तीय अनुभव वाले अधिकारियों द्वारा जायेगी।

वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक और सहायक स्टाफ को सीधी भर्ती, प्रति नियुक्ति और अल्पकालिक कार्यादेश अथवा संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा। परियोजना आधार पर उच्चतर वेतन के साथ वैज्ञानिक आदि को संविदा आधार पर नियुक्ति करने के लिए एन आई एस ई, इस उद्देश्य के लिए एक स्पष्ट प्रावधान हेतु अपने दिशानिर्देश अथवा स्कीम तैयार करेगा । अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रौद्योगिकी अंतरण से संबंधित कार्यों को करने के लिए समयबद्ध आधार पर अनुसंधानकर्ताओं और अध्येताओं पदों की अपेक्षित संख्या को सृजित करनेके लिए एन आई एस ई के पास अधिकार होगा।

चूंकि यह संगठन क्रमश: विकसित हो रही प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है । अत: सरकार कम से कम आगामी 10 वर्षों तक संस्थान को योजना; गैर योजना और पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

एन आई एस ई, अपने वार्षिक बजट के संबंध में मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी और संस्थान के कार्य निष्पादन का मानीटरन एम ओ यू के संदर्भ में किया जाएगा ।
सामान्यत: सरकारी वेतनमानों को अपनाया जाएगा। ऊपर किए गए उल्लेख के अतिरिक्त भुगतान करने के लिए शासी परिषद द्वारा एक प्रोत्साहन योजना बनाई जा सकती है। वेतनमान के अनुसार केवल मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ता (डीए) नहीं होगा। शेष भुगतान प्रोत्साहन योजना से किया जाएगा।

सरकार की संगठित सेवाओं के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए भी पात्र होंगे।

उद्योग को लघुअवधि प्रतिनियुक्ति आधार पर संस्थान में अपने वैज्ञानिक/तकनीकी विद् नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और संस्थान से वैज्ञानिक सौर उद्योग में प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं।

विशिष्ट विशेषज्ञ जो कि अधिवर्षिता की आयु पूरी कर चुके हैं अथवा विदेश में या कहीं और कार्य कर रहे हैं. को एन आई एस ई के साथ संविदा आधार पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

उन्हें कार्य/ परामर्शदात्री शुल्क के रूप में एकमुश्त राशि पर नियुक्त किया जा सकता है । वे अनुसंधान छात्रों का मार्गदर्शन करने के भी पात्र होंगे ।

पदों को नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार चरणबद्ध रूप से भरा जाएगा:

40 % नियमित नियुक्ति के माध्यम से

20 % प्रति नियुक्ति पर

40 % कार्यकाल (टेन्योर) हेतु आमंत्रण पर

सहायक सेवाओं को आऊटसोर्स किया जाएगा ।

## राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की आरंभिक स्थापना की समय–सीमा

| कार्यकलाप | वर्ष 1 | | | वर्ष 2 | | वर्ष 3 | | वर्ष 4 | | वर्ष 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत | 3 मी | | | | | | | | | | |
| 2. अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था (डीजी, डीडीजी और सचिव की अंतरिम नियुक्ति) | | 1मी | | | | | | | | | |
| 3. पात्रता मानदंड और डीजी, डीडीजी एवं सचिव की नियमित नियुक्ति | | + 2मी | | | | | | | | | |
| 4. डीजी, डीडीजी एवं सचिव के लिए खोज–सह–चयन समिति का गठन और उनकी नियुक्तियां | | | | | | | | | | | |
| 5. अन्य वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कार्मिकों के लिए भर्ती नियम बनाना | | | | | | | | | | | |
| 6. वैज्ञानिकों एवं अन्य कार्मिकों की भर्ती (40%) | | | | | | | | | | | |
| 7. वैज्ञानिकों एवं अन्य कार्मिकों की भर्ती (30%) | | | | | | | | | | | |
| 8. वैज्ञानिकों एवं अन्य कार्मिकों की भर्ती (30%) | | | | | | | | | | | |
| 9. प्रशासनिक भवन का निर्माण | | | | | | | | | | | |
| 10. प्रशासनिक भवन का निर्माण | | | | | | | | | | | |
| 11. प्रयोगशालाओं का पुनर्व्यवस्थापन | | | | | | | | | | | |
| 12. उपस्करों का प्रापण | | | | | | | | | | | |

अनुबन्ध III

एन आई एस ई के मौजूदा वैज्ञानिक और सहायक स्टाफ

क) कार्यपालक अधिकारी

| क्रम संख्या | पद | वेतनमान | संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | वैज्ञानिक 'जी' | 37,400- 67,000/- (ग्रेड वेतन 10,000/-) | 1 |
| 2. | वैज्ञानिक 'एफ' | 37,400- 67,000/- (ग्रेड वेतन 10,000/-) | 2 |
| 3. | वैज्ञानिक 'एफ' | 37,400- 67,000/- (ग्रेड वेतन 8,900/-) | 3 |
| 4. | वैज्ञानिक 'ई' | 37,400- 67,000/- (ग्रेड वेतन 8,700 00/-) | 3 |
| 5. | वैज्ञानिक 'डी' | 15,600- 37,400/- (ग्रेड वेतन 7,600/-) | 1 |
| 6. | वैज्ञानिक 'बी' | 15,600 - 37,400/- (ग्रेड वेतन 5,400/-) | 1 |

ख) प्रशासनिक स्टाफ

| क्र.सं. | पद का नाम | वेतनमान(आरंभिक) | वर्गीकरण | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रशासनिक अधिकारी | पीबी-3, 15,600-39,100/- जीपी 6600/- | समूह 'ए' राजपत्रित | 1 |
| 2. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | पीबी-2, 9,300-34,800/- जीपी 4600/- | समूह 'बी' राजपत्रित | 1 |
| 3. | तकनीकी सहायक | पीबी-2, 9,300-34,800/- जीपी 4200/- | समूह 'बी' | 4 |
| 4. | लेखापाल | पीबी-2, 9,300-34,800/- जीपी 4200/- | समूह 'बी' | 1 |
| 5. | डाटा प्रोसेसिंग सहायक | पीबी-2, 9,300-34,800/- जीपी 4200/- | समूह 'बी' | 1 |
| 6. | लाइब्रेरी एवं सूचना सहायक | पीबी-2, 9,300-34,800/- जीपी 4200/- | समूह 'बी' | 1 |
| 7. | सहायक | पीबी-2, 9,300-34,800/- जीपी 4200/- | समूह 'बी' | 2 |
| 8. | सहायक फोरमैन | पीबी-2, 9,300-34,800/- जीपी 4200/- | समूह 'बी' | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | आशुलिपिक ग्रेड 'सी' | पीबी-2, 9,300 -34,800/-<br>ग्रेड वेतन 4200/- | समूह 'बी' | 3 |
| 10. | ट्रेडमैन 'ई' | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 2,800/- | समूह 'सी' | 1 |
| 11. | बायलर आप्रेटर | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 2,800/- | समूह 'सी' | 1 |
| 12. | टरबाइन ऑपरेटर | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 2,800/- | समूह 'सी' | 1 |
| 13. | नियंत्रण और इंस्टरूमैंटेशन मैकेनिक | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 2,800/- | समूह 'सी' | 1 |
| 14. | ट्रेडमैन 'डी' | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 2,400/- | समूह 'सी' | 4 |
| 15. | ट्रेडमैन 'सी' | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 2,400/- | समूह 'सी' | 3 |
| 16. | ट्रेडमैन 'ए' | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 1,900/- | समूह 'सी' | 5 |
| 17. | स्टोर कीपर | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 2,400/- | समूह 'सी' | 1 |
| 18. | चालक | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 1,900/- | समूह 'सी' | 3 |
| 19. | चालक | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 2,400/- | समूह 'सी' | 1 |
| बहुकार्य (मल्टी टास्किंग) | | | | |
| | गेस्टटेनर ऑप्रेटर | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 1,800/- | समूह 'सी' | 1 |
| | जूनियर लाइब्रेरी अटैंडेंट | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 1,800/- | समूह 'सी' | 1 |
| | चपरासी | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 1,800/- | समूह 'सी' | 2 |
| | चौकीदार | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 1,800/- | समूह 'सी' | 1 |
| | सफाईवाला | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 1,800/- | समूह 'सी' | 1 |
| | हेल्पर 'ए' | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>जीपी 1,800/- | समूह 'सी' | 9 |
| | हेल्पर/क्लीनर | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>ग्रेड वेतन 1,800/- | समूह 'सी' | 4 |
| | | | कुल | 66 |

दिनांक 24.9.2013 को समाप्त किए गए पदों का ब्यौरा

| क्र.सं. | पद का नाम | वेतनमान (आरंभिक) | वर्गीकरण | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कनिष्ठ विश्लेषक | पीबी-2, 9,300-34,800/-<br>जीपी 4600/- | समूह 'बी'<br>राजपत्रित | 1 |
| 2. | फोरमैन | पीबी-2, 9,300 -34,800/-<br>जोपी 4200/- | समूह 'बी' | 1 |
| 3. | आशुलिपिक ग्रेड 'सी' | पीबी-2, 9,300 -34,800/-<br>जीपी 4200/- | समूह 'बी' | 1 |
| 4. | आशुलिपिक ग्रेड 'डी' | पीबी-1, 5,200-20,200/-<br>जीपी 2,400/- | समूह 'सी' | 1 |
| | | | कुल | 4 |